भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1529

दिनांक 28 जुलाई, 2021 को उत्तर दिए जाने के लिए

निर्यात योजनाओं का दुरुपयोग

1529. श्रीमती रंजीता कोलीः

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को निर्यात योजनाओं और रियायतों के दुरुपयोग से संबंधित मामलों की जांच की प्रक्रिया में होने वाले अत्यधिक विलंब के बारे में पता है जिसके परिणामस्वरुप दोषी व्यक्तियों को समय पर दंडित नहीं किया जाता है और जांच प्रक्रिया पूरा करने के लिए कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं है जिससे जांच में अनुचित विलंब होता है;

(ख) क्या ऐसी जांच प्रक्रिया से संबंधित कार्य की समीक्षा की गई है; और

(ग) यदि हां. तो इसकी समीक्षा कब की गई थी और इसके परिणाम क्या रहे हैं?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

***

(क): निर्यात योजनाओं और रियायतों के दुरूपयोग के विरुद्ध कार्रवाई एक सतत प्रक्रिया है। जब कभी ऐसी निर्यात योजनाओं और रियायतों के दुरुपयोग का पता चलता है, तो फर्मों को अस्वीकृत इकाई सूची (डीईएल) में रखा जाता है और अधिनिर्णय की कार्यवाही शुरू की जाती है। निर्यात योजनाओं और रियायतों के दुरुपयोग की जांच उचित समय के भीतर पूरी कर ली जाती है यद्यपि ऐसे मामलों में जांच पूरी करने के लिए कोई निश्चित समय सीमा नहीं है। पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान 22,099 फर्मों को डीईएल में रखा गया है और अधिनिर्णय के पश्चात 2,922 फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है।

(ख) और (ग) जांच प्रक्रिया से संबंधित कार्यों की आवधिक समीक्षा की जाती है। 27.01.2021 को विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) के क्षेत्रीय प्राधिकारियों को अधिनिर्णय की कार्यवाही को समय पर पूरा करने के लिए मॉडल दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, केंद्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो (सीईआईबी) ने एक सूचना साझेदारी प्रोटोकॉल (आईएसपी) जारी किया है जिसके अन्त्र्गत विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी), सीईआईबी, राजस्व आसूचना निदेशालय (डीआरआई) और अन्य जांच एजेंसियां वित्तीय अपराधों की जांच के लिए जानकारी साझा करती हैं जिसमें निर्यात योजनाओं और रियायतों का दुरुपयोग भी शामिल है।